रजिस्ट्री सं० डी० 221

REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 185] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 1, 1973/श्रावण 10, 1895

No. 185] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 1, 1973/SRAVANA 10, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue & Insurance)

NOTIFICATIONS

CENTRAL EXCISES

New Delhi, the 1st August 1973

G.S.R. 374(E).—In exercise of the powers conferred by section 37 of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Excise Rules, 1944, namely:—

1. These rules may be called the Central Excise (7th Amendment) Rules, 1973.

2. In the Central Excise Rules, 1944, in Chapter V, in section E-XI, after rule 96-ZU, the following rule shall be inserted, namely:—

"96-ZUU. *Exclusion of certain manufacturers from the provisions of section E-XI.*—Nothing contained in this section shall apply to a manufacturer who instals, or had at any time during the calendar year preceding the date of application installed,—

(i) more than one stentering machine; or

(ii) more than one mercerising machine having two rollers; or

(iii) more than one stentering machine and more than one mercerising machine having two rollers; or

(iv) a mercerising machine with more than two rollers,

for processing cotton fabrics.".

[156/73.]

[No. 156/73-CE F. No. 51/16/72-CX. 2.]

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

अधिसूचनाएं

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

नई दिल्ली, 1 अगस्त, 1973

सा० का० नि० 374(अ).—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और लवण अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पादशुल्क नियम, 1944 में और संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. इन नियमों का नाम केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (सातवां संशोधन) नियम, 1973 है।

2. केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के अध्याय 5 में, धारा क XI-में, नियम 96-य प के पश्चात् निम्नलिखित नियम अतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात :—

"96-य प प० **कतिपय विनिर्माताओं को धारा क XI के उपबन्धों से छूट.**—इस धारा की कोई भी बात ऐसे विनिर्माता को लागू नहीं होगी जो—

(i) एक से अधिक स्टेन्टरिंग मशीन; या

(ii) एक से अधिक मरसिराइज करने वाली मशीन जिसके दो रोलर हों; या

(iii) एक से अधिक स्टेन्टरिंग मशीन और एक से अधिक मरसिराइज करने वाली मशीन जिसके दो रोलर हों; या

(iv) सूती फैब्रिक प्रसंस्कृत करने के लिए दो से अधिक रोलरों वाली मरसिराइज करने वाली मशीन,

प्रतिष्ठापित करता है या जिसने आवेदन की तारीख से पूर्ववर्ती कलेण्डर वर्ष के दौरान किसी समय प्रतिष्ठापित की है।"

[156/73.]

[सं० 156/73-सी०ई० फा० सं० 51/16/72-सी० एक्स० 2]

G.S.R. 375(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 88/69-Central Excises, dated the 1st March, 1969, namely:—

In the said notification, for clauses (c) to (g) of the proviso below the Second Table annexed thereto, the following clauses shall be substituted, namely:—

"(c) In the case of fabrics printed without the aid of power or steam and stentered on a stentering machine without the aid of power or steam, the duty leviable shall be—

(i) *if the fabric is of superfine or fine category*, two paise per square metre, *plus* the duty for the time being leviable on the grey fabric, if not already paid;

(ii) if the fabric is of medium-A, medium-B or coarse category, nil, *plus* the duty for the time being leviable on the grey fabric, if not already paid.

(d) In the case of fabrics bleached and/or dyed (but not printed) without the aid of power or steam and stentered on a stentering machine without the aid of power or steam, the duty leviable shall be—

(i) if the fabric is of superfine or fine category, eight paise per square metre, *plus* the duty for the time being leviable on the grey fabric, if not already paid;

(ii) if the fabric is of medium-A, medium-B or coarse category, nil, *plus* the duty for the time being leviable on the grey fabric, if not already paid.

(e) In the case of fabrics bleached and printed or dyed and printed, or bleached and dyed and printed, without the aid of power or steam and stentered on a stentering machine without the aid of power or steam, the duty leviable shall be—

(i) if the fabric is of superfine or fine category, ten paise per square metre, *plus* the duty for the time being leviable on the grey fabric, if not already paid;

(ii) if the fabric is of medium-A, medium-B or coarse category, nil, *plus* the duty for the time being leviable on the grey fabric, if not already paid.

(f) In the case of fabrics mercerised (but not printed) without the aid of power or steam, the duty leviable shall be—

(i) if the fabric is of superfine or fine category, twenty paise per square metre, *plus* the duty for the time being leviable on the grey fabric, if not already paid;

(ii) if the fabric is of medium-A category, ten paise per square metre, *plus* the duty for the time being leviable on grey fabric, if not already paid;

(iii) if the fabric is of medium-B or coarse category, nil, *plus* the duty for the time being leviable on the grey fabric, if not already paid.

(g) In the case of fabrics mercerised and printed without the aid of power or steam, the duty leviable shall be—

(i) if the fabric is of superfine or fine category, twenty-two paise per square metre, *plus* the duty for the time being leviable on the grey fabric, if not already paid;

(ii) if the fabric is of medium-A category, twelve paise per square metre, *plus* the duty for the time being leviable on the grey fabric, if not already paid;

(iii) if the fabric is of medium-B or coarse category, three paise per square metre, *plus* the duty for the time being leviable on the grey fabric, if not already paid.

(h) In the case of fabrics mercerised without the aid of power or steam on which duty has already been paid at the appropriate rate, when printed without the aid of power or steam the duty at the rate equal to the difference between the rates mentioned in clauses (f) and (g) shall be leviable."

[No. 157/73-CE F. No. 51/16/72-CX. 2]

सा० का० नि० —375(अ)—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 88/69-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1969 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, उससे उपाबद्ध द्वितीय सारणी के नीचे परन्तुक के खण्ड (ग) से (छ) तक के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखे जाएंगे, अर्थात :—

"(ग) विद्युत शक्ति या भाप की सहायता के बिना छापे गए और विद्युत शक्ति या भाप की सहायता के बिना किसी स्टेंटरिंग मशीन पर स्टेन्टर किए गए फब्रिकों की दशा में उद्ग्रहणीय शुल्क निम्नलिखित होगा :—

(i) यदि फैब्रिक सुपरफाइन या फाइन श्रेणी का है तो दो पैसे प्रति वर्ग मीटर धन कोरे फैब्रिक पर तत्समय उद्ग्रहणीय शुल्क, यदि वह पहले ही न दिया जा चुका हो;

(ii) यदि फैब्रिक मध्यम-क, मध्यम-ख या मोटे श्रेणी का ह तो शून्य धन कोरे फैब्रिक पर तत्समय उद्ग्रहणीय शुल्क, यदि वह पहले ही न दिया जा चुका हो ।

(घ) विद्युत शक्ति या भाप की सहायता के बिना विरंजित और/या रंगे गए (किन्तु छापे नहीं गए) तथा विद्युत शक्ति या भाप की सहायता के बिना किसी स्टेन्टरिंग मशीन पर स्टेन्टर किए गए फैब्रिकों की दशा में, उद्ग्रहणीय शुल्क निम्नलिखित होगा—

(i) यदि फैब्रिक सुपरफाइन या फाइन श्रेणी का है तो आठ पैसे प्रति वर्गमीटर धन कोरे फैब्रिक पर तत्समय उद्ग्रहणीय शुल्क, यदि वह पहले ही न दिया जा चुका हो ;

यदि फब्रिक मध्यम-क, मध्यम-ख या मोटे श्रेणी का है तो शून्य धन कोरे फैब्रिक पर तत्समय उद्ग्रहणीय शुल्क, यदि वह पहले ही न दिया जा चुका हो ।

विद्युत शक्ति या भाप की सहायता के बिना विरंजित और छापे गए या रंगे गए और छापे गए, अथवा विरंजित और रंगे गए और छापे गए तथा विद्युत शक्ति या भाप की सहायता के बिना किसी स्टेन्टरिंग मशीन पर स्टेन्टर किए गए फैब्रिकों की दशा में, उद्ग्रहणीय शुल्क निम्नलिखित होगा—

(i) यदि फैब्रिक सुपरफाइन या फाइन श्रेणी का है तो दस पैसे प्रति वर्ग मीटर धन कोरे फैब्रिक पर तत्समय उद्ग्रहणीय शुल्क, यदि वह पहले ही न दिया जा चुका हो ;

(ii) यदि फैब्रिक मध्यम-क, मध्यम-ख या मोटे श्रेणी का है तो शून्य धन कोरे फैब्रिक पर तत्समय उद्ग्रहणीय शुल्क, यदि वह पहले ही न दिया जा चुका हो ;

(च) विद्युत शक्ति या भाप की सहायता के बिना मरसिराइज किए गए (किन्तु छापे नहीं गए) फैब्रिकों की दशा में, उद्ग्रहणीय शुल्क निम्नलिखित होगा —

(i) यदि फैब्रिक सुपरफाइन या फाइन श्रेणी का है तो बीस पैसे प्रति वर्गमीटर धन कोरे फैब्रिक पर तत्समय उद्ग्रहणीय शुल्क, यदि वह पहले ही न दिया जा चुका हो ;

(ii) यदि फैब्रिक मध्यम-क श्रेणी का है तो दस पैसे प्रति वर्ग मीटर धन कोरे फैब्रिक पर तत्समय उद्ग्रहणीय शुल्क, यदि वह पहले ही न दिया जा चुका हो ;

(iii) यदि फैब्रिक मध्यम-ख या मोटे श्रेणी का है तो शून्य धन कोरे फैब्रिक पर तत्समय उद्ग्रहणीय शुल्क, यदि वह पहले ही न दिया जा चुका हो ।

(छ) विद्युत शक्ति या भाप की सहायता के बिना मरमिराइज किए गए और छापे गए फैब्रिकों की दशा में उद्ग्रहणीय शुल्क निम्नलिखित होगा—

(i) यदि फैब्रिक सुपरफाइन या फाइन श्रेणी का है तो बाइस पैसे प्रति वर्गमीटर घन कोरे फैब्रिक पर तत्समय उद्ग्रहणीय शुल्क, यदि वह पहले ही न दिया जा चुका हो ;

(ii) यदि फैब्रिक मध्यम-क श्रेणी का है तो बारह पैसे प्रति वर्ग मीटर घन कोरे फैब्रिक पर तत्समय उद्ग्रहणीय शुल्क, यदि वह पहले ही न दिया जा चुका हो ;

(iii) यदि फैब्रिक मध्यम-ख या मोटी श्रेणी का है तो तीन पैसे प्रति वर्गमीटर घन कोरे फैब्रिक पर तत्समय उद्ग्रहणीय शुल्क, यदि वह पहले ही न दिया जा चुका हो ।

(ज) विद्युत शक्ति या भाप की सहायता के बिना मरसिराइज किए गए उन फैब्रिकों की दशा में जिन पर समुचित दर पर शुल्क पहले ही दिया जा चुका है, जब विद्युत शक्ति या भाप की सहायता के बिना छापे जाएं तो खंड (च) और (छ) में उल्लिखित दरों के बीच के अंतर के बराबर दर पर शुल्क उद्ग्रहणीय होगा " ।

[सं० 157/73-सी० ई० फा० सं० 51/16/72-सी० एक्स० 2]

G.S.R. 376(E).—In pursuance of rule 96-ZP of the Central Excise Rules, 1944, and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 149/71-Central Excises, dated the 26th July, 1971, the Central Government hereby fixes for machines installed for processing of cotton fabrics falling under sub-item I(2) of Item No. 19 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), without the aid of power or steam and specified in column (2) of the Table hereto annexed, the rate of duty specified in the corresponding entry in column (3) thereto:—

THE TABLE

Sl No.	Description of machine installed.	Rate of duty per month per machine installed.
1		
1.	Stentering machine.	Rs. 3000.00
2.	Mercerising machine, only with two rollers.	Rs. 2000.00

[No. 158/73-CE F. No. 51/16/72-CX.2.]

सा० का० नि० 376 (अ).—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 96 यत के अनुसरण में और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 149/71—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 26 जुलाई, 1971 को अधिक्रांत करते हुए, केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और लवण अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 19 की उपमद 1(2) के अन्तर्गत आने वाले सूती फैब्रिक को विद्युत शक्ति या भाप की सहायता के बिना

प्रसंस्कृत करने के लिए प्रतिष्ठापित मशीनों के लिए जो इससे उपाबद्ध सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट हैं उसके स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट शुल्क की दर नियत करती है :—

सारणी

क्रम सं०	प्रतिष्ठापित मशीन का वर्णन	प्रतिस्ठापित प्रति मशीन के लिए मासिक शुल्क दर
1	2	3
1	स्टेन्टरिंग मशीन	3000.00 रु०
2	मरसिराइज करने वाली मशीन, केवल दो रोलरों सहित ।	2000.00 रु०

[सं० 158/73-सी० ई० फा० सं० 51/16/72-सी० एक्स० 2]

G.S.R. 377(E).—In pursuance of rule 96 ZB of the Central Excise Rules, 1944, and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 107/66-Central Excises, dated the 2nd July, 1966, the Central Government hereby directs that the rate per hand press employed in the manufacture of coarse grain plywood shall be Rs. 180/- per month.

[No. 159/73-CE F. No. 62/1/72-CX.2]

J. P. KAUSHIK, Under Secy.

सा० का० नि० 377(अ).—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 96भ ख के अनुसरण में और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 107/66—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 2 जुलाई, 1966, को अधिक्रांत करते हुए, केन्द्रीय सरकार निदेश देती है कि मोटे दाने की प्लाई लकड़ी के विनिर्माण में लगाए गए प्रति हस्त संपीडक की दर 180 रु० प्रति मास होगी ।

[सं० 159/73-सी० ई० फा० सं० 62/1/72-सी० एक्स० 2]

जे० पी० कौशिक, अवर सचिव ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1973